क्रम-संख्या--584

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अगस्त, 1985

भाद्रपद 1, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1481 / सत्रह-वि-1-1 (क)--23-1985

लखनऊ, 23 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल, महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 22 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 22 जून, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (1) में, शब्द "इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी" के पश्चात् शब्द "किन्तु धारा 16, 31—क और 31-ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" बढ़ा दिये जायेंगे ।

नयी धारा 31—ख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"31-(ख)—(1) प्राचार्य से भिन्न प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 के उपबन्धों के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर 3 जनवरी, 1984 को या इसके पूर्व सीधे नियुक्त हुआ है और जो सम्बन्धित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक उस महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो ।

कतिपय तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि—

(क) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, ऐसा पद पहले ही भर दिया गया हो, या ऐसे पद के लिये चयन किया जा चुका है, या

(ख) ऐसा अध्यापक सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के किसी संदस्य या उसके प्राचार्य का सम्बन्धी है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्बन्धी समझा जायगा यदि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 20 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित रीति से उसका सम्बन्धी हो ।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1985

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
बी० एल० लूम्बा,
सचिव ।

No. 1481(2)/XVII-V-1—1(KA)-23-1985

Dated Lucknow, August 23, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Sewa Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 22, 1985:

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. ACT NO. OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 22, 1985.

Amendment of section 12 of U.P. Act no. 16 of 1980

2. In section 12 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "in the Statutes made thereunder," the words "but subject to the provisions of sections 16, 31-A and 31-B," shall be *inserted*.

Insertion of new section 31-B

3. *After* section 31-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely —

Regularisation of certain *ad hoc* appointments

"31-B. (1) Every teacher, other than a Principal, directly appointed on or before January 3, 1984, on *ad hoc* basis, against a substantive vacancy in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1982 or the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1983, who possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with, the provisions of the concerned Statutes, shall with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1985, be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided that such teacher has been continuously serving the College from the date of such *ad hoc* appointment up to the date of such commencement.

(2) Every teacher deemed to have been appointed in substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such commencement.

(3) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment if—

(*a*) on the date of such commencement, such post had already been filled, or selection for such post had already been made, in accordance with the provisions of this Act, or

(*b*) such teacher was related to any member of the Management, or the Principal, of the College concerned.

Explanation—For the purpose of this sub-section a person shall be deemed to be related to another if they are related in the manner mentioned in the Explanation to section 20 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973."

U.P. Ordinance no. 14 of 1985

Repeal and savings

4. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1985 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 125 सा० (विधा०)—(1679)—1985—850 (मेक०) ।